राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा (रजि० न० 421)

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. **नाम:**

इस संगठन का नाम राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा जिसका संक्षिप्त रूप (रा० प्रा० शि० संघ, हरि०) होगा।

2. **कार्यक्षेत्र :**

हरियाणा राज्य की सम्पूर्ण सीमा व राज्य की राजधानी इस संघ का कार्यक्षेत्र होगी।

3. **लक्ष्य एवं उद्देश्य :**

(1) हरियाणा के प्राथमिक शिक्षकों के आर्थिक, शैक्षणिक, मानसिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास को क्रियात्मक रूप से प्रोत्साहित करना अथवा उनके विकास में प्रयास करना तथा प्राथमिक शिक्षकों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना का संचार करना।

(2) हरियाणा के प्राथमिक शिक्षकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं राजनैतिक विकास के लिए निस्वार्थ कार्य करना।

(3) प्राथमिक शिक्षकों में शिक्षा के लिए सेवा और त्याग की भावना को उत्प्रेरित करना और उन्हें सामाजिक स्थान दिलाना।

(4) स्वावलंबन पर आधारित सहयोग की भावना के सहारे शिक्षण पद्धति में सुधार के लिए प्रयास करना।

(5) हरियाणा के प्राथमिक शिक्षकों को एक सूत्र में बांध कर एक संस्था के अंदर तथा उनके अंदर अपने कार्य के प्रति भातृत्व और सहयोग की भावना के कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति चेतना सृजन करना।

(6) हरियाणा राज्य में संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों का अनुसरण करने वाले वाले मित्रवत संगठनों के साथ सहयोग करना तथा हरियाणा के बाहर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही संगठनों के साथ सहयोग करना तथा उनके साथ सम्बंध होने का प्रयास करना जिनके लक्ष्य एवं उद्देश्य संघ के समान हों।

(7) प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन एवं उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में उनके अधिकारों, हितों एवं सुविधाओं की रक्षा करना तथा शिक्षकों के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति चेतना का सृजन करना।

(8) शिक्षकों से संबंधित सभी संस्थाओं एवं उनकी इकाईयों में प्राथमिक शिक्षकों तथा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ को आवश्यक प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रबंध करना।

(9) शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध करना एवं भाषण, सम्मेलन, गोष्ठी आदि का प्रबंध करना।

(10) अपने खण्ड, जिला स्तर की इकाईयों के कार्यों का निरीक्षण एवं समन्वय करना।

(11) खण्ड, जिला स्तर की इकाईयों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए नियमों का निर्धारण करना।

(12) संघ के लाभार्थ केन्द्रीय/राज्य सरकार तथा किसी अन्य निकाय के साथ आबंटन निधि, अनुदान सहायता को प्राप्त करना एवं उनका उपयोग करना।

(13) संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थ संग्रह तथा उसका नियंत्रण करना।

(14) ऐसे दूसरे संघों एवं मित्र संगठनों के साथ सहयोग करना जो कि संघ के क्रियाकलापों को समुन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए।

(15) ऐसे दूसरे संघों से दूर रहना, जो राजनीति से प्रेरित हों।

(16) ऐसे कार्य करना, जो संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में अथवा संघ के कार्यान्वन में मददगार और आवश्यक हों।

(17) प्राथमिक शिक्षकों की सुविधा के लिए खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षक भवनों के निर्माण व रखरखाव का प्रबंध करना।

(18) प्राथमिक शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक, मनोरंजक व शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(19) संघ के प्रचार-प्रसार के लिए पत्रिका, पोस्टर, पम्फलेट, कलेण्डर इत्यादि का प्रकाशन व वितरण करना।

(20) प्राथमिक शिक्षकों में शिक्षा के लिए सेवा और त्याग की भावना जागृत करना। शिक्षण पद्धति में सुधार लाना तथा उन्हें सम्मानपूर्ण सामाजिक स्थान दिलाना।

4. उद्देश्यों की पूर्ति :

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की आमसभा तथा कार्यकारिणी के द्वारा निश्चित उपायों एवं साधनों द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी।

5. संचालन :

संघ के प्रबंधन का दायित्व कार्यकारिणी को सौंप दिया जाएगा, जिसका निर्माण आमसभा द्वारा निर्मित नियम तथा उनके निर्देश से होगा।

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा (रजि० न० 421)

संविधान आमसभा

1. **नाम:**

इस संगठन का नाम राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा जिसका संक्षिप्त रूप (रा० प्रा० शि० संघ, हरि०) होगा।

2. **मुख्यालय:**

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा का मुख्यालय पंचकूला (हरियाणा) में होगा।

3. **कार्यक्षेत्र:**

हरियाणा राज्य की सम्पूर्ण सीमा व राज्य की राजधानी इस संघ का कार्यक्षेत्र होगी।

4. **परिभाषा:**

(क) संघ से अभिप्राय: राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से है।

(ख) प्राथमिक शिक्षक से तात्पर्य सभी नियमित प्राथमिक शिक्षकों व प्राथमिक मुख्य शिक्षकों से है।

(ग) सदस्यता शुल्क से अभिप्राय: उस शुल्क से है जो संघ की सदस्यता प्राप्त करने की एवज में संघ को प्राप्त होता है।

(घ) त्रिवार्षिक सदस्यता शुल्क से अभिप्राय: तीन वर्षों की एकमुश्त सदस्यता प्राप्त करने की एवज में 150/- रूपये प्रति सदस्य से प्राप्त शुल्क से है।

(ड़) संघर्ष फण्ड से अभिप्राय: प्राथमिक शिक्षकों के हितों के लिए किए जाने वाले संघर्ष हेतु सदस्यों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में संघ को प्राप्त होने वाली राशि से है।

(च) खण्ड से अभिप्राय: उस शैक्षणिक खण्ड से है, जिसका कार्यक्षेत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी के अधीन हो।

(छ) कार्यकाल से अभिप्राय: संघ के पदाधिकारियों के कार्यकाल से है। जो साधारणत: तीन वर्षों का होगा।

5. **प्रतिनिधित्व :**

खण्ड से लेकर राज्य स्तर पर रा० प्रा० शि० संघ, हरियाणा में अपने अधीनस्थ सभी इकाईयो का प्रतिनिधित्व करेगा।

6. **संघ का प्रशासनिक प्रबंध :**

संघ का प्रशासनिक कार्य संचालन आमसभा द्वारा गठित कार्यकारिणी द्वारा होगा, जो संघ के संविधान को सर्वोच्च मानकर कार्य करेगी।

7. **संघ का संविधान व संशोधनः**

(क) राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा एक स्वतंत्र संगठन है, जिसका एक लिखित संविधान है। जिसे आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरीय आमसभा द्वारा संघ के हित में समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(ख) संघ के संविधान में संशोधन सिर्फ संघ के वार्षिक सम्मेलन की आमसभा की बैठक में ही किया जा सकता है बशर्ते कि आमसभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या में से दो-तिहाई सदस्यों की संख्या प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में अपना मतदान करे।

(ग) संघ के संविधान में किसी भी संशोधन के लिए प्रतिवेदन अध्यक्ष/महासचिव को दिया जाएगा। जिसको वे इसके लिए गठित उपसमिति को अग्रेषित करेंगे, जो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आगामी कार्यवाही करेंगी।

8. **संगठन :**

खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरीय राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के निम्नलिखित रूप होंगे:-

(क) कार्यकारिणी
(ख) कार्यसमिति
(ग) सलाहकार परिषद
(घ) आमसभा

(क) कार्यकारिणी :-

(1) खण्ड कार्यकारिणी :

इसमें खण्ड कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्य होंगे।

(2) जिला कार्यकारिणी :

इसमें जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्य होंगे।

(3) राज्य कार्यकारिणी :

इसमें राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्य होंगे।

(ख) कार्यसमितिः-

(1) खण्ड कार्यसमिति :

इसका खण्ड स्तर पर वजूद नहीं होगा।

(2) जिला कार्यसमिति :

इसमें जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, खण्ड अध्यक्ष, खण्ड सचिव सदस्य होंगे।

(3) राज्य कार्यसमिति :

इसमें राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी, जिला प्रधान एवं जिला सचिव सदस्य होंगे।

(ग) सलाहकार परिषदः-

(1) खण्ड सलाहकार परिषद :

खण्ड स्तर पर इसका वजूद नहीं होगा।

(2) जिला सलाहकार परिषद :

इसमें प्रत्येक खण्ड से तीन सदस्य होंगे, जो कि जिला कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसी विशेष परिस्थिति में जिला कार्यकारिणी किसी खण्ड से 3 से ज्यादा सदस्यों को मनोनीत कर सकती है लेकिन एक खण्ड से मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 हो सकती है।

(3) राज्य सलाहकार परिषद :

इसमें प्रत्येक जिले से तीन सदस्य होंगे, जो कि राज्य कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसी विशेष परिस्थिति में राज्य कार्यकारिणी किसी जिले से 3 से ज्यादा सदस्यों को मनोनीत कर सकती है लेकिन एक जिले से मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 हो सकती है।

(घ) आमसभा:-

(1) खण्ड आमसभा :

सभी सदस्य जिन्होंने एक निश्चित समयावधि तक संगठन की सदस्यता ग्रहण की है और संगठन में आस्था जताई है, वह सभी सदस्य खण्ड की आमसभा के सदस्य होंगे। इनका पूरा नाम, पता सहित सूचि खण्ड प्रधान/सचिव के पास रहेंगे।

(2) जिला आमसभा :

खण्ड के तीन पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जिला की आमसभा के सदस्य होंगे बशर्ते खण्ड में संघ के सदस्यों की संख्या 50 या 50 से अधिक हो एवं खण्ड के डेलीगेट जिला की आमसभा के सदस्य होंगे।

(3) राज्य आमसभा :

जिला प्रधान, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष राज्य आमसभा के सदस्य होंगे बशर्ते जिला में संघ के सदस्यों की संख्या 300 या 300 से अधिक हो एवं जिले से आए डेलीगेट राज्य आमसभा के सदस्य होंगे।

9. संघ की सदस्यता :

(क) मानद/विशेष सदस्यता:

संघ को एकमुश्त 51,000 रुपये (इक्यावन हजार रुपये) का आर्थिक सहयोग देने वाले सदस्य को संघ कीमानद/विशेष सदस्यता प्रदान की जाएगी व वह मानद/विशेष सदस्य अपनी सेवानिवृति/उच्च कैडर में पदोन्नति होने तक सदैव राज्य आमसभा का सदस्य व मतदान का अधिकारी होगा। मानद/विशेष सदस्यता के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहयोग की पूर्ण राशि सीधे राज्य कार्यकारिणी कोष में ही जमा होगी। खण्ड व जिला इकाई इस पूर्ण राशि को सीधे राज्य कार्यकारिणी को जमा करवाएंगे।

(ख) सामान्य सदस्यता:

संघ की सदस्यता प्रत्येक नियमित प्राथमिक शिक्षक के लिए खुली होगी, जो हरियाणा प्रदेश के किसी राजकीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो और निम्नलिखित शर्ते पूरी करता हो:-

(1) संघ की महानता को स्वीकार करते हुए संघ के संविधान व संविधान में

निर्धारित नियमों व उपनियमों का पालन करने को वचनबद्ध हो।

(2) संघ की सदस्यता के लिए निर्धारित 150/- रूपये त्रिवार्षिक सदस्यता शुल्क एकमुश्त रूप से अदा करे।

(3) किसी अन्य अध्यापक संगठन का सदस्य न हो। किसी अन्य अध्यापक संगठन की सदस्यता प्रमाणित होने पर प्रदेश कार्यकारिणी उसे बिना किसी चेतावनी/ नोटिस के संघ की सदस्यता से निष्कासित कर सकती है।

(4) दोहरी सदस्यता वाला सदस्य यदि संघ की सदस्यता लेना चाहता है, उसे एक शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य अध्यापक संगठन का सदस्य नहीं रहेगा और न ही भविष्य में सदस्य बनेगा। इसके उपरांत ही उसे संघ की सदस्यता दी जा सकती है परंतु वह सदस्यता हासिल करने की तिथि से आगामी 4 वर्षो तक संघ में किसी भी स्तर पर पदाधिकारी का चुनाव नहीं लड़ सकता। जो सदस्य चोरी-छिपे किसी अन्य अध्यापक संघ का सदस्य बना हुआ पाया गया और उसका प्रमाण यदि संघ के पास हो तो वह किसी भी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

(5) रा० प्रा० शि० संघ, हरियाणा की कार्यकारिणी द्वारा निश्चित अवधि के भीतर जमा सदस्यता शुल्क का (जो कि त्रिवार्षिक 150/- रुपये होगा) 30 प्रतिशत खण्ड, 30 प्रतिशत जिला तथा 40 प्रतिशत राज्य स्तर का शेयर होगा।

(6) निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात् महासचिव, अध्यक्ष की सलाह लेकर 31 दिसम्बर तक हर वर्ष सदस्यता शुल्क स्वीकार करेगा।

(7) संघ की सदस्यता बनाने का मुख्य कार्य खण्ड स्तर पर होगा, आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारियों की सहायता भी ली जा सकती है। खण्ड कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित समय अवधि में सदस्यता अभियान पूरा करके सदस्यता राशि में से जिला व राज्य कार्यकारिणी की सदस्यता राशि का शेयर व रसीद बुक जिला कार्यकारिणी को जमा करवाएगी और जिला कार्यकारिणी उक्त सदस्यता राशि में से राज्य कार्यकारिणी की सदस्यता राशि का शेयर व रसीद बुक को राज्य कार्यकारिणी को जमा करवाएगी। खण्ड स्तर पर सदस्यता संतोषजनक न होने पर जिला कार्यकारिणी अपने स्तर पर सदस्यता बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर

सदस्यता संतोषजनक न होने पर राज्य कार्यकारिणी अपने स्तर पर सदस्यता बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी।

10. **चुनाव की प्रक्रिया :**

(क) संरक्षक :

अपने पद की अवधि/कार्यकाल की समाप्ति के बाद संघ का निवर्तमान अध्यक्ष आगामी तीन वर्षों तक संघ का संरक्षक होगा, बशर्ते कि उसने चुनाव में भाग न लिया हो और उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित न हुआ हो। निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा संघ का सरंक्षक बनने की अनिच्छा व्यक्त करने पर संघ का महासचिव आगामी तीन वर्षों तक संघ का सरंक्षक होगा, बशर्ते कि उसने चुनाव में भाग न लिया हो और उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित न हुआ हो।

(ख) पदाधिकारियों का चुनाव :

खण्ड, जिला व राज्य स्तर की कार्यकारिणी के चुनाव त्रिवार्षिक होंगे। जिला व राज्य स्तर की कार्यकारिणी हेतु अध्यक्ष, महासचिव/सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए ही चुनाव होंगे व बाकी पदों पर कार्यकारिणी के पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे। जिला व राज्य कार्यकारिणी में कार्यकारिणी विस्तार हेतु बिन्दु 21 में दी गई प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। खण्ड स्तर पर आमसभा द्वारा सहमति व्यक्त करने पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव होगा व खण्ड कार्यकारिणी के अन्य पदों पर सदस्यों को मनोनीत किया जा सकेगा। खण्ड, जिला व राज्य कार्यकारिणी का चुनाव क्रमश: खण्ड, जिला व राज्य स्तरीय आमसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :-

स्तर	**आमसभा**
खण्ड	सभी प्राथमिक शिक्षक जो संघ के सदस्य हों और संघ में विश्वास रखते हों तथा एक निश्चित अवधि तक उन्होंने संघ की सदस्यता ग्रहण की हो, वो खुलेआम सम्मेलन में इकट्ठे होंगे और पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। खण्ड स्तर पर पद के लिए चुनाव लड़ने के ईच्छुक सदस्यों को अपने नामांकन के समय 2000 रुपए बतौर जमानत राशि जमा करवानी होगी जो डाले गए मतों के 20 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने की स्थिति में जब्त हो जाएगी और संघ के खण्ड के खाते में जमा करवा दी जाएगी। उक्त पदों पर सर्वसम्मति से चयन होने की स्थिति में सभी उम्मीदवारों को जमानत राशि वापिस लौटा दी जाएगी।
जिला	सभी खण्ड अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जिला की आमसभा के अंग व मतदान

के पात्र होंगे बशर्ते संबंधित खण्ड में संघ के सदस्यों की संख्या अर्थात सदस्यता 50 या 50 से अधिक हो एवं 100 प्राथमिक शिक्षकों की सदस्यता पर पहला डेलीगेट होगा जो खण्ड कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर होगा अर्थात पहले डेलीगेट की पात्रता हासिल करने पर संबंधित खण्ड कार्यकारिणी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष आमसभा का अंग होगा और मतदान का पात्र होगा। 151 से 200 की सदस्यता पर दूसरा डेलीगेट होगा जो खण्ड कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर होगा अर्थात दूसरे डेलीगेट की पात्रता हासिल करने पर संबंधित खण्ड की कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष आमसभा का अंग होगा और मतदान का पात्र होगा। 251 से 300 की सदस्यता पर तीसरा डेलीगेट होगा जो खण्ड कार्यकारिणी में सहसचिव पद पर होगा अर्थात तीसरे डेलीगेट की पात्रता हासिल करने पर संबंधित खण्ड की कार्यकारिणी का सहसचिव आमसभा का अंग होगा और मतदान का पात्र होगा। 351 से 400 की सदस्यता पर चौथा डेलीगेट होगा जो खण्ड कार्यकारिणी में संगठन सचिव पद पर होगा अर्थात चौथे डेलीगेट की पात्रता हासिल करने पर संबंधित खण्ड की कार्यकारिणी का संगठन सचिव आमसभा का अंग होगा और मतदान का पात्र होगा।, 451 से ज्यादा की सदस्यता पर पाँचवा डेलीगेट होगा जो खण्ड कार्यकारिणी में प्रैस प्रवक्ता पद पर होगा अर्थात पाँचवे डेलीगेट की पात्रता हासिल करने पर संबंधित खण्ड की कार्यकारिणी का प्रैस प्रवक्ता आमसभा का अंग होगा और मतदान का पात्र होगा। निर्धारित पात्रता पूरी करने पर एक खण्ड से न्यूनतम 3 पदाधिकारिओं (खण्ड अध्यक्ष, खण्ड सचिव एंव खण्ड कोषाध्यक्ष) के मत व इनके अतिरिक्त अधिकतम 5 डेलीगेट के मत होंगे। इसके अतिरिक्त 90 प्रतिशत सदस्यता वाले खण्ड को एक अतिरिक्त डेलीगेट मिलेगा। बशर्ते उसके डेलीगेट की संख्या 3 या 3 से कम हो। नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति तक जिले की आमसभा के सदस्य होंगे। जिला स्तर पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के ईच्छुक सदस्यों को अपने नामांकन के समय 5000 रुपए बतौर जमानत राशि जमा करवानी होगी जो डाले गए मतों के 20 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने की स्थिति में जब्त हो जाएगी और जिला के खाते में जमा करवा दी जाएगी। उक्त पदों पर सर्वसम्मति से चयन होने की स्थिति में सभी उम्मीदवारों को जमानत राशि वापिस लौटा दी जाएगी। एक आदमी एक ही मत का प्रयोग कर सकता है। जिला स्तरीय आमसभा में कम से कम 16 सदस्य होंगे अर्थात् जिले में न्यूनतम 2 खण्ड होने की स्थिति में दोनों खण्ड के पदाधिकारी जिला स्तरीय आमसभा के सदस्य होंगे।

राज्य प्रत्येक जिले का जिला प्रधान, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष राज्य की

आमसभा के अंग व मतदान के योग्य होंगे बशर्ते संबंधित जिले में संघ के सदस्यों की संख्या अर्थात सदस्यता 300 या 300 से अधिक हो। इसके अतिरिक्त 450 या 450 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की सदस्यता पर पहला डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में सबसे अधिक संघ की सदस्यता वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 600 या 600 से अधिक की सदस्यता पर दूसरा डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में द्वितीय स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 750 या 750 से अधिक की सदस्यता पर तीसरा डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में तीसरे स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 900 या 900 से अधिक की सदस्यता पर चौथा डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में चौथे स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 1100 या 1100 से अधिक की सदस्यता पर पाँचवा डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में पांचवें स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 1300 या 1300 से अधिक की सदस्यता पर छठा डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में छठे स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 1500 या 1500 से अधिक की सदस्यता पर सातवाँ डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में सातवें स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 1800 या 1800 से अधिक की सदस्यता पर आठवाँ डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में आठवें स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। 2000 या 2000 से अधिक की सदस्यता पर नौवां डेलीगेट होगा जो संबंधित जिले में संघ की सदस्यता संख्या में नौवें स्थान पर रहने वाले खण्ड का अध्यक्ष होगा। सभी खण्ड अध्यक्षों के मत के बाद भी अगर डेलीगेट की संख्या बचती/बनती है तो इसी क्रमानुसार खण्ड सचिव, खण्ड कोषाध्यक्ष व खण्ड वरिष्ठ उपाध्यक्ष डेलीगेट होंगे। निर्धारित पात्रता पूरी करने पर एक जिले से न्यूनतम 3 पदाधिकारिओं (जिला अध्यक्ष, जिला सचिव एवं जिला कोषाध्यक्ष) के मत व इनके अतिरिक्त अधिकतम 9 डेलीगेट के मत होंगे। इसके अतिरिक्त 90 प्रतिशत सदस्यता वाले जिले को एक अतिरिक्त डेलीगेट मिलेगा बशर्ते कि उसके डेलीगेट की संख्या 5 या 5 से कम हो। नवनिर्वाचित राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति तक राज्य आमसभा के सदस्य होंगे। राज्य स्तर पर अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के ईच्छुक सदस्यों को अपने नामांकन के समय 11000 रुपए बतौर जमानत राशि जमा करवानी होगी जो डाले गए मतों के 20 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने की स्थिति में जब्त हो जाएगी और संघ के राज्य स्तरीय खाते में जमा करवा दी जाएगी। उक्त पदों पर सर्वसम्मति से चयन होने की स्थिति में सभी उम्मीदवारों

को जमानत राशि वापिस लौटा दी जाएगी।

नोटः (1) संघ का प्रत्येक सदस्य खण्ड स्तर के चुनाव में मतदान का हकदार होगा।

(2) खण्ड स्तर पर संघ के प्रत्येक सदस्य व उसके द्वारा अदा किए गए सदस्यता शुल्क का पूर्ण रिकार्ड रखा जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षक रिकार्ड में दर्ज सदस्यता के अनुसार ही चुनाव करवाएगा।

(3) खण्ड स्तर के चुनाव में निर्वाचित होने पर कोई भी खण्ड पदाधिकारी जिला व राज्य कार्यकारिणी के पद हेतु चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी प्रकार से जिला स्तर के चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारी राज्य कार्यकारिणी के पद हेतु चुनाव नहीं लड़ सकता। खण्ड व जिला के नवनिर्वाचित पदाधिकारी तत्काल त्यागपत्र देकर भी क्रमशः जिला व राज्य कार्यकारिणी के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते।

(4) जिला कार्यकारिणी चुनाव हेतु जिला की आमसभा के सदस्यों (सभी नवनिर्वाचित खण्ड प्रधान, खण्ड सचिव, खण्ड कोषाध्यक्ष व डेलीगेट्स) का रिकार्ड भी जिला स्तर पर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसके आधार पर चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव करवाएगा।

(5) खण्ड स्तर के चुनाव की तिथि का निर्धारण जिला कार्यसमिति द्वारा तय करके राज्य कार्यकारिणी को भेजी जाएगी तथा जिला स्तर के चुनाव की तिथि व स्थान का निर्धारण राज्य कार्यसमिति द्वारा तय किया जाएगा। यह तिथि व स्थान प्रदेश कार्यसमिति द्वारा चुनाव की घोषणा करने/अधिसूचना जारी करने के बाद ही निर्धारित की जाएगी।

(6) प्रत्येक खण्ड में खण्ड कार्यकारिणी के चुनाव की तिथि निर्धारित करने से पहले जिला कार्यसमिति खण्ड के चुनाव हेतु 2 पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी, जो उस खण्ड के चुनाव को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए जिम्मेदार होगें। इसी प्रकार जिलों में जिला कार्यकारिणी के चुनाव की तिथि निर्धारित करने से पहले राज्य कार्यकारिणी प्रत्येक जिले के चुनाव हेतु 2 पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी, जो उस जिला में चुनाव को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाएंगे।

(7) खण्ड, जिला व राज्य स्तर के चुनाव में पर्यवेक्षकों का मत नहीं होगा। उनकी भूमिका सिर्फ चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने मात्र की ही होगी। चुनाव पर्यवेक्षक

विजेता उम्मीदवारों व उनके द्वारा प्राप्त मतों का ब्यौरा, क्रमशः जिला व राज्य कार्यकारिणी को देंगे। कोई भी पर्यवेक्षक एक से अधिक खण्ड व जिला में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त/मनोनीत नहीं किया जाएगा।

(8) सभी खण्डों में खण्ड कार्यकारिणी के चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद ही जिला कार्यकारिणी का चुनाव होगा। इसी प्रकार सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी के चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव होगा। यदि निश्चित तिथि तक कोई जिला या कुछ जिले चुनाव करवाने में असमर्थ रहते हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव में कोई रुकावट नहीं होगी, बशर्ते कि आधे से अधिक जिले संविधान के अनुसार अपना चुनाव सम्पन्न करवा चुके हों। इसी प्रकार जिला कार्यकारिणी के संदर्भ में भी यही नियम लागू रहेगा।

(9) खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर कार्यकारिणी के गठन के समय चुनाव की स्थिति में समान मत होने पर टॉस से निर्णय होगा अर्थात् टॉस में विजेता रहे उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

(10) खण्ड व जिला स्तर पर चुनाव में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कोई भी आपत्ति व मामला राज्य कार्यकारिणी में रखा जाएगा। और राज्य कार्यकारिणी उचित फैसला लेगी। राज्य कार्यकारिणी के फैसले से असहमति पर विवाद/मामला राज्य कार्यसमिति में रखा जाएगा तथा राज्य कार्यसमिति के साधारण बहुमत से दिए गए निर्णय को अंतिम माना जाएगा। इसी प्रकार राज्य कार्यकारिणी चुनाव में किसी विवाद की स्थिति में चुनाव पर्यवेक्षकों का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(11) खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकार्ड हो, कोई विभागीय जांच लम्बित हो तो वह किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही पदाधिकारी बन सकता।

(12) जिला व राज्य आमसभा के किसी सदस्य के किसी कारण से चुनाव में भाग लेने में असमर्थ होने की स्थिति में वह अपने मत के लिए किसी अन्य सदस्य को अधिकृत कर सकता है और उस सदस्य को इस संबंध में अपने हस्ताक्षर से जारी अधिकार पत्र देगा, जिस पर उक्त प्रतिनिधि सदस्य उसकी ओर से आमसभा में मतदान कर सकेगा।

(13) प्रत्येक स्तर की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने से पहले पिछले वर्षों का वित्तिय लेखा-

जोखा सदस्यों को दिया जाएगा।

(14) हर स्तर पर चुनाव गुप्त मतदान से ही होंगे तथा चुनाव संबंधी सम्पूर्ण रिकार्ड राज्य स्तर के चुनाव सम्पन्न होने की तिथि से 15 दिन तक सुरक्षित रखना होगा।

(15) खण्ड व जिला स्तर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी व पदाधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित सूचि राज्य कार्यकारिणी को दस्ती/आधिकारिक ई-मेल आई-डी पर ईमेल के माध्यम से अविलम्ब भेजी जाएगी।

(16) राज्य कार्यसमिति द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्येक जिला कार्यसमिति अपने जिले के समस्त खण्डों के चुनाव का कार्यक्रम तय करके उसका पूर्ण शैड्यूल/ चुनाव कार्यक्रम राज्य कार्यकारिणी को दस्ती/ई-मेल के माध्यम से सात दिन पहले भेजेगी। उक्त चुनाव कार्यक्रम में किसी भी विशेष कारण से परिवर्तन करना पड़े तो राज्य कार्यकारिणी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। खण्ड, जिला व राज्य स्तरीय चुनाव बारे अखबार, सोशल मीडिया, वैबसाइट आदि के मार्फत व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अपेक्षित है।

(17) सभी खण्डों व जिलों सहित राज्य कार्यकारिणी के चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत अधिसूचना राज्य कार्यसमिति द्वारा एक साथ जारी की जाएगी।

(18) संघ के वर्तमान संविधान के लागू होने के उपरांत राज्य प्रधान, राज्य महासचिव व राज्य कोषाध्यक्ष पद पर दो कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् तीनों पदाधिकारी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते।

(19) जो खण्ड निर्धारित अवधि तक जिला कार्यकारिणी को सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवाएगा, उसे जिला कार्यकारिणी के चुनाव में वोट का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह जो जिला निर्धारित अवधि तक राज्य कार्यकारिणी को सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवाएगा, उसे राज्य कार्यकारिणी के चुनाव में वोट का अधिकार नहीं होगा।

11. कार्यकारिणी में विभिन्न स्तर पर पदाधिकारी:-

खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर कार्यकारिणी में निम्नलिखित पद होंगे :-

(क) खण्ड स्तर पर पदाधिकारी :

सदस्य	संख्या
1. अध्यक्ष	एक
2. वरि० उपाध्यक्ष	एक
3. उपाध्यक्ष	एक
4. सचिव	एक
5. कोषाध्यक्ष	एक
6. सहसचिव	एक
7. संगठन सचिव	एक
8. प्रैस प्रवक्ता	एक

(ख) जिला स्तर पर पदाधिकारी :

सदस्य	संख्या
1. अध्यक्ष	एक
2. वरि० उपाध्यक्ष	एक
3. उपाध्यक्ष	एक
4. सचिव	एक
5. सहसचिव	एक
6. संगठन सचिव	एक
7. कोषाध्यक्ष	एक
8. ऑडिटर	एक
9. प्रैस प्रवक्ता	एक

(ग) राज्य स्तर पर पदाधिकारी :

सदस्य	संख्या
1. अध्यक्ष	एक
2. वरि० उपाध्यक्ष	एक
3. उपाध्यक्ष	चार
4. महासचिव	एक
5. सहसचिव	चार
6. संगठन सचिव	चार
7. मण्डल प्रभारी	छह
8. मुख्य सलाहकार	एक
9. सलाहकार	चार
10. कोषाध्यक्ष	एक

11.	संयोजक	एक
12.	सहसंयोजक	एक
13.	मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारी	एक
14.	महिला प्रकोष्ठ प्रभारी	एक
15.	प्रदेश प्रवक्ता	एक
16.	प्रैस सचिव	एक
17.	ऑडिटर	एक
18.	क़ानूनी सलाहकार	एक
19.	विशेष आमन्त्रित सदस्य	पांच

12. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :

(क) हरियाणा राज्य की प्रा० शि० संघ की इकाईयों के कार्यों पर निगरानी रखना।

(ख) संघ के संविधान में लिखित संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना तथा त्रिवार्षिक सम्मेलन और कार्यसमिति व आमसभा में स्वीकृत प्रस्तावों को क्रियान्वित रखना।

(ग) संघ कोष पर नियंत्रण रखना।

(घ) महासचिव /कोषाध्यक्ष को वार्षिक रिपोर्ट और आय-व्यय रिपोर्ट की स्वीकृति देना।

(ड़) विभिन्न उप-समितियों का गठन करना।

(च) अध्यक्ष के बिल की स्वीकृति देना।

(छ) सम्बद्ध खण्ड, जिला या राज्य स्तर पर जो पदाधिकारी/सदस्य राज्य कार्यकारिणी के निर्देशों का उल्लंघन करता हो अथवा रा० प्रा० शि० संघ हरियाणा के संविधान के प्रावधानों एवं उसके हितों के विरूद्ध करता हो तो कार्यकारिणी उसका संज्ञान लेगी व संघ के संविधान में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उचित कार्यवाही के लिए कार्यसमिति में रखेगी।

13. कार्यसमिति के अधिकार व कर्त्तव्य :

(क) कार्यसमिति का अध्यक्ष कार्यकारिणी का प्रधान होगा, जो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) कार्यकारिणी द्वारा रखे गए किसी भी मुद्दे/प्रस्ताव पर चर्चा करना व उसका प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन करना।

(ग) कार्यसमिति के लिए संघ के संविधान में निर्धारित कार्यों को करना व वर्णित शक्तियों का प्रयोग करना प्रस्ताव पारित करना।

(घ) सलाहकार परिषद द्वारा पारित किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर यथासंभव कार्यवाही करना।

14. सलाहकार परिषद के अधिकार व कर्त्तव्य :

जिला व राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी:-

(क) सलाहकार परिषद का अध्यक्ष संघ का सरंक्षक होगा, जो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) प्राथमिक शिक्षकों के हितों से संबंधित किसी विशेष महत्व के मुद्दे पर चर्चा उपरांत कोई प्रस्ताव पारित कर कार्यसमिति के समक्ष रखने हेतु अनुमोदन करना।

(ग) संघ के वृहत्तर हित में किसी भी मुद्दे पर चर्चा उपरांत कोई प्रस्ताव पारित कर कार्यसमिति को भेजना।

(घ) सलाहकार परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव कार्यसमिति पर बाध्यकारी नहीं होंगे। लेकिन आदर्श रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यसमिति सलाहकार परिषद द्वारा पारित कर भेजे गए प्रस्ताव को उसकी मूल भावना के अनुरूप महत्व देगी व उचित कदम उठाएगी।

15. बैठकें :

(क) खण्ड स्तर की कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य हैं। प्रत्येक 2 माह में एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। विशेष परिस्थिति या जरूरत अनुसार कितनी भी बैठक की जा सकती है।

(ख) जिला कार्यकारिणी व कार्यसमिति की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य हैं। विशेष परिस्थिति या जरूरत अनुसार कितनी भी बैठक की जा सकती है।

(ग) राज्य कार्यकारिणी व कार्यसमिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार अनिवार्य हैं। विशेष परिस्थिति या जरूरत अनुसार कितनी भी बैठक की जा सकती है।

(घ) आमसभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार हुआ करेंगी। विशेष परिस्थिति या जरूरत अनुसार कितनी भी बैठक की जा सकती है।

(ड़) सलाहकार परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार हुआ करेंगी। विशेष परिस्थिति या जरूरत अनुसार कितनी भी बैठक की जा सकती है।

(च) प्रत्येक बैठक का विवरण खण्ड स्तर से जिला स्तर को और जिला स्तर से राज्य स्तर को भेजना अनिवार्य है। संघ के प्रत्येक सदस्य की समस्त समस्याएं सर्वप्रथम अपने खण्ड स्तर पर भेजनी चाहिए। खण्ड स्तर की कार्यकारिणी यदि उस समस्या को हल करने में स्वयं को असमर्थ समझे तो वह जिला स्तर को भेजे। यदि जिला कार्यकारिणी भी यदि उक्त समस्या के समाधान में असमर्थ हो तो वह राज्य कार्यकारिणी को भेजेगी। यह क्रिया प्रस्ताव द्वारा हो, यह अनुशासन की दृष्टि से अति आवश्यक है।

16. बैठकों की सूचना :

(क) कार्यकारिणी, कार्यसमिति व सलाहकार परिषद की सामान्य बैठक की सूचना बैठक की वास्तविक तिथि से 7 दिन पूर्व व आपातकालीन बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व और आमसभा की सामान्य बैठक की सूचना बैठक की वास्तविक तिथि से 14 दिन पूर्व तथा आपात बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व ईमेल से/पत्र से प्रसारित की जाएगी।

(ख) खण्ड स्तर की बैठक की सूचना संबंधित जिला प्रधान व जिला महासचिव को और जिला स्तर की बैठक की सूचना राज्य प्रधान व राज्य महासचिव को दी जानी आवश्यक है ताकि यदि वे उचित समझें तो वे बैठक में भाग ले सकें।

(ग) बैठकों में केवल आने-जाने का किराया ही देय होगा।

17. गणपूरक संख्या :

(क) खण्ड, जिला व राज्य स्तर की प्रत्येक बैठक के लिए 60 प्रतिशत पदाधिकारी/सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी व कोरम पूरा माना जाएगा। 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति की स्थिति में बैठक की तिथि की दोबारा घोषणा की जाएगी। दोबारा बैठक की स्थिति में 50 प्रतिशत पदाधिकारी/सदस्यों की उपस्थिति में कोरम को पूरा माना जाएगा।

(ख) संघ के संविधान में किसी उपबंध विशेष में उल्लेखित कोरम को उल्लेख अनुसार ही पूर्ण माना जाएगा।

18. कार्यकारिणी पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य:

(क) अध्यक्ष :

(क) संघ के समस्त कार्य पर नियंत्रण रखना।

(ख) कार्यकारिणी, कार्यसमिति, सलाहकार परिषद तथा आमसभा की बैठकों तथा रा० प्रा० शि० संघ हरि० द्वारा आयोजित शैक्षणिक संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का सभापतित्व करना।

(ग) समान सम्मति पर मताधिक्य से किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करना।

(घ) अगर महासचिव कार्यकारिणी, कार्यसमिति, सलाहकार परिषद अथवा आमसभा की बैठक उचित समय पर नहीं बुलाते हैं तो अध्यक्ष क्रमश: कार्यकारिणी, कार्यसमिति के कम से कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की प्राप्ति के पश्चात् क्रमश: कार्यकारिणी, कार्यसमिति, सलाहकार परिषद की तथा आमसभा की कुल सदस्य संख्या के पांचवें भाग के द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की प्राप्ति के पश्चात् आमसभा की बैठक बुलाएंगे। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महासचिव को लिखित नोटिस देगा कि वह बैठक बुलाने की अध्यक्ष द्वारा दी गई नोटिस की प्राप्ति तिथि से सात दिनों के भीतर कार्यकारिणी, कार्यसमिति, सलाहकार परिषद तथा आमसभा की बैठक बुलावें। अगर महासचिव इसके बाद भी अध्यक्ष के नोटिस का अनुपालन नहीं करते हैं तो अध्यक्ष स्वयं कार्यकारिणी, कार्यसमिति, सलाहकार परिषद अथवा आमसभा की बैठक बुलाएंगे और इन बैठकों के लिए स्थान, समय एवं कार्यसूचि भी स्वयं निश्चित करेंगे।

(ड़) महासचिव के बिल की स्वीकृति देना।

(च) कार्यकारिणी की सम्मति को प्राप्त करने का समय न रहने पर महासचिव द्वारा प्रस्तुत सारे आवश्यक कार्यों और विषयों को निपटाना।

(छ) महासचिव से किसी विषय की ऐसी सूचना अथवा विवरण ग्रहण करना

जिसके सम्बंध में संघ के लाभार्थ कदम उठाना आवश्यक हो।

(ज) स्वीकृत बजट से 10000/- रूपये अधिक या कम करने का अधिकार प्रदान करना।

(झ) संघ के बैंक खाते के संयुक्त संचालक के रूप में कार्य करना।

(ख) वरिष्ठ उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक का सभापतित्व करना एवं अध्यक्ष की सारी जिम्मेदारी निभाना।

(ग) उपाध्यक्ष :

वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक का सभापतित्व करना एवं अध्यक्ष की सारी जिम्मेदारी निभाना। एक से ज्यादा उपाध्यक्ष की स्थिति में आयु से वरिष्ठता क्रम तय होगा। उसी क्रमानुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक का सभापतित्व व अध्यक्ष की सारी जिम्मेदारी निभाएंगे।

(घ) महासचिव/सचिवः

(क) संघ के कार्यपालक प्रधान के रूप में कार्य करना तथा संघ की समस्त गतिविधियों को सम्पादित करना।

(ख) संघ की ओर से किसी अनुबंध, पट्टे तथा किसी शर्तनामे पर संघ की कार्यसमिति से अनुमोदन उपरांत हस्ताक्षर करना।

(ग) संघ के सारे क्रियाकलापों के लिए अपने को उत्तरदायी समझना।

(घ) सम्बद्ध खण्ड व जिला इकाईयों के क्रिया-कलापों का निरीक्षण करना तथा समय-समय पर उन्हें सुझाव व सलाह देना।

(ड़) कार्यकारिणी, कार्यसमिति, सलाहकार परिषद व आमसभा की बैठक बुलाना तथा राज्य द्वारा संयोजित सभी संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों को बुलाना एवं उनकी कार्यवाही का विवरण रखना।

(च) अध्यक्ष एवं निजी बिलों एवं बाउचरों को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के

बिलों एवं बाउचरों को पारित करना।

(छ) रा० प्रा० शि० संघ, हरियाणा के लिए उसकी ओर से मौद्रिक लेन-देन को सम्पन्न करना।

(ज) त्रिवार्षिक सम्मेलन के अवसर पर कार्यकारिणी, कार्यसमिति और आमसभा की बैठकों में वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक आय-व्यय प्रतिवेदन को प्रस्तुत/उपस्थापित करना।

(झ) राज्य महासचिव को स्वीकृत बजट से 10000/- रूपये अपने पास नकद रखने का अधिकार होगा।

(ञ) संघ के बैंक खाते के संयुक्त संचालक के रूप में कार्य करना।

(ड़) सह-सचिव :

महासचिव/सचिव को संघ के कार्य संचालन में मदद करना।

(च) संगठन सचिव :

संघ को संगठित रखने के लिए कार्य करना।

(छ) मण्डल प्रभारी :

मण्डल के अधीन जिलों में संघ को मजबूत करने के लिए कार्य करना व मण्डल के अधीन जिलों के जिला प्रधानों में सामन्जस्य व तालमेल कायम करना।

(ज) कोषाध्यक्ष :

(क) आय-व्यय का हिसाब-किताब रखना तथा कार्यकारिणी, कार्यसमिति के अनुमोदनार्थ उसकी बैठक में प्रस्तुत/उपस्थापित करना।

(ख) महासचिव से आय-व्यय के संबंध में ब्यौरे/सूचना प्राप्त करना।

(ग) महासचिव अथवा अध्यक्ष के साथ बैंकों से रुपये की निकासी करना।

(झ) मुख्य सलाहकार :

अध्यक्ष एवं महासचिव को संघ के कार्य संचालन हेतु उपयोगी सलाह देना व

मार्गदर्शन करना।

(ञ) सलाहकार :

कार्यकारिणी को संघ की गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए व किसी विषय विशेष पर उपयोगी सलाह व परामर्श देना।

(ट) ऑडीटर :

संघ के वार्षिक एवं त्रिवार्षिक वित्तिय लेन-देन का निरीक्षण व ऑडिट कर अपनी संस्तुति कार्यकारिणी को करना।

(ठ) संयोजक :

कार्यकारिणी के विभिन्न पदाधिकारियों के मध्य बेहतर तालमेल कायम करना।

(ड) सहसंयोजकः

संयोजक को उसके कार्यों में मदद करना।

(ढ) मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारी :

अध्यक्ष एवं महासचिव से सलाह करके उनके निर्देशानुसार संघ की कार्यकारिणी, कार्यसमिति व आमसभा के फैसलों की सूचना मीडिया व सोशल मीडिया में प्रसारित करना। संघ के अध्यक्ष व महासचिव से सलाह व अनुमति उपरांत किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर संघ की ओर से आधिकारिक ब्यान जारी करना।

(ण) प्रदेश प्रवक्ता :

अध्यक्ष, महासचिव व मीडिया प्रभारी से सलाह करके उनके निर्देशानुसार संघ की कार्यकारिणी, कार्यसमिति व आमसभा के फैसलों की सूचना मीडिया में प्रसारित करना। संघ के अध्यक्ष, महासचिव व मीडिया प्रभारी से सलाह व अनुमति उपरांत किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर संघ की ओर से आधिकारिक ब्यान जारी करना।

(त) प्रैस सचिवः

अध्यक्ष, महासचिव व मीडिया प्रभारी से सलाह करके उनके निर्देशानुसार संघ की कार्यकारिणी, कार्यसमिति व आमसभा के फैसलों की सूचना मीडिया में प्रसारित करना।

(थ) कानूनी सलाहकार :

संघ की कार्यकारिणी, कार्यसमिति, सलाहकार परिषद व आमसभा में रखे गए

किसी विषय पर कानूनी सलाह देना। कार्यकारिणी, कार्यसमिति व आमसभा द्वारा किसी मुद्दे/समस्या/मांग के संदर्भ में अधिकृत करने पर उचित कानूनी कदम उठाना व न्यायालय में संघ व प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित मामलों की पैरवी हेतु कदम उठाना।

(द) महिला प्रकोष्ठ प्रभारी :

संघ से जुड़ी महिला सदस्यों से संबंधित मामलों/मुद्दों/मांगों/समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करना व जिला महिला प्रकोष्ठ प्रभारियों से प्राप्त मांगों/मुद्दों/समस्याओं को राज्य कार्यकारिणी में रखना। जिला महिला प्रकोष्ठ प्रभारियों से सामन्जस्य व तालमेल कायम करके संघ में महिला सदस्यों की सक्रियता व नेतृत्व का विकास करना।

(ध) विशेष आमन्त्रित सदस्य:

कार्यकारिणी को अपनी विशेषज्ञता अनुसार उपयोगी सलाह व सुझाव देना।

19. महिला प्रकोष्ठ एवं उसके कार्य व मनोनयन की प्रक्रिया :

महिला प्रकोष्ठ:

संघ में महिला सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी व सक्रियता को बढ़ाने के लिए तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महिला प्रकोष्ठ कार्य करेगा।

महिला प्रकोष्ठ के कार्य:

महिला प्रकोष्ठ प्रभारी हर स्तर पर महिला सदस्यों की मांगों/समस्याओं/मुद्दों को क्रमश: जिला व राज्य कार्यकारिणी में रखेंगी व उनके निदान के लिए प्रयासरत रहेंगी।

महिला प्रकोष्ठ प्रभारी/सहप्रभारी का मनोनयन:

प्रत्येक खण्ड से एक महिला प्रभारी होगी, जो कि जिला महिला प्रकोष्ठ की सदस्य होगी। आवश्यकतानुसार खण्ड से एक महिला सहप्रभारी भी मनोनीत की जा सकती है। खण्ड कार्यकारिणी महिला प्रभारी/सहप्रभारी का नाम जिला कार्यकारिणी को सुझाएगी। जिस पर जिला कार्यकारिणी उस पर विचार कर अनुमोदन व मनोनयन करेगी। जिला स्तरपर सभी खण्ड महिला प्रभारियों/सहप्रभारियों से तालमेल व सामन्जस्य हेतु एक जिला महिला प्रभारी/सहप्रभारी का मनोनयन जिला कार्यकारिणी सभी खण्ड महिला प्रभारियों/सहप्रभारियों से राय लेकर करेगी। इसी प्रकार सभी जिला महिला प्रभारियों/सहप्रभारियों से सामन्जस्य व तालमेल रखने हेतु राज्य

कार्यकारिणी सभी जिला महिला प्रभारियों/सहप्रभारियों से सलाह-मशविरा करके राज्य महिला प्रभारी/सहप्रभारी को मनोनीत करेगी। राज्य महिला प्रभारी के कार्यों में सहयोग के लिए राज्य कार्यकारिणी आवश्यकतानुसार महिला सहप्रभारियों को भी मनोनीत कर सकती है।

20. कार्यकाल :

(क) पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके चुनाव तिथि से तीन वर्षों का होगा। राज्य स्तरीय आमसभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन करने पर किसी विशेष परिस्थिति में कार्यकाल निर्धारित अवधि से कम भी किया जा सकता है।

(ख) अगर त्रिवार्षिक चुनाव समय पर नहीं हो सके तो वर्तमान पदाधिकारी अगले चुनाव तक अपने-अपने पदों पर कार्यकारी पदाधिकारी बने रहेंगे। अगले चुनाव के सम्बंध में कार्यसमिति निर्णय लेगी, जो कि 1 माह से अधिक नहीं होगा।

21. जिला व राज्य कार्यकारिणी के विस्तार की प्रक्रिया :

राज्य कार्यकारिणी के विस्तार के लिए प्रत्येक जिले से एक सदस्य के नाम का अनुमोदन संबंधित जिले की आमसभा द्वारा साधारण बहुमत (आमसभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा) से प्रस्ताव पारित करके अनुमोदित किया जाए व उक्त प्रस्ताव की फोटोप्रति राज्य कार्यकारिणी की बैठक में राज्य महासचिव को दी जाए अथवा संघ की आधिकारिक ईमेल आईडी पर ईमेल की जाए। राज्य कार्यकारिणी विशेष योग्यताओं के चलते किन्ही 5 सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राज्य कार्यकारिणी में स्थान दे सकती हैं लेकिन वे राज्य स्तरीय आमसभा के सदस्य नहीं होंगे अर्थात राज्य आमसभा में मतदान के हकदार नहीं होंगे । इसी प्रकार जिला कार्यकारिणी के विस्तार के लिए प्रत्येक खण्ड से एक सदस्य के नाम का अनुमोदन संबंधित खण्ड की कार्यकारिणी द्वारा साधारण बहुमत (कार्यकारिणी के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा) से प्रस्ताव पारित करके अनुमोदित किया जाए व उक्त प्रस्ताव की फोटोप्रति जिला कार्यकारिणी की बैठक में जिला सचिव को दी जाए अथवा जिला इकाई की आधिकारिक ईमेल आईडी पर ईमेल की जाए। जिला कार्यकारिणी भी विशेष योग्यताओं के चलते किन्ही 5 सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जिला कार्यकारिणी में स्थान दे सकती हैं लेकिन वे जिला स्तरीय आमसभा के सदस्य नहीं होंगे अर्थात जिला स्तरीय आमसभा में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

22. सम्पत्ति तथा कोष :

(क) निम्नलिखित कोष रा० प्रा० शि० संघ हरियाणा का कोष समझा जाएगा:-

1. सदस्यता शुल्क से प्राप्ति - संघ के सदस्य से सदस्यता शुल्क त्रिवार्षिक

150/– रूपये लिया जाएगा। जिसका खण्ड स्तर पर अंश 30 प्रतिशत, जिला स्तर पर 30 प्रतिशत व राज्य स्तर पर 40 प्रतिशत होगा। सदस्यता शुल्क की रसीद बुक मुद्रण हेतु सिर्फ राज्य कार्यकारिणी ही अधिकृत है। संघ की रसीद बुक प्राप्त करने के उपरांत संबंधित पदाधिकारी/सदस्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा व रसीद बुक के गुम होने एवं राशि का गबन करने की स्थिति में संघ द्वारा उक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करवाने के लिए अधिकृत होगा।

2. किसी सम्मेलन या संगोष्ठी में किसी खास किस्म का दान, जिसे संघ प्राप्त करे।

3. राज्य में संघ के सदस्यों से लिए जाने वाले संघर्ष फंड जिसका खण्ड स्तर पर अंश 50 प्रतिशत, जिला स्तर पर 40 प्रतिशत व राज्य स्तर पर 10 प्रतिशत होगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला कार्यकारिणी किसी भी खण्ड से राज्य कार्यकारिणी किसी भी जिले से संघर्ष फंड की राशि लेने के लिए अधिकृत होगी। कोई भी खण्ड व जिला कार्यकारिणी अपने स्तर पर संघर्ष फंड की रसीद नहीं छपवा सकते व केवल राज्य कार्यकारिणी द्वारा प्रदान की गई रसीद बुक ही अधिकृत व मान्य होगी। संघ की संघर्ष फण्ड की रसीद बुक प्राप्त करने के उपरांत संबंधित पदाधिकारी/सदस्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा व रसीद बुक के गुम होने एवं राशि का गबन करने की स्थिति में संघ द्वारा उक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करवाने के लिए अधिकृत होगा।

4. अन्य प्राप्तियां।

(ख) कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित विशेष प्रस्ताव के आधार पर रा० प्रा० शि० संघ, हरियाणा की कार्यकारिणी ऋण भी ले सकती है। यह सभी स्तर पर लागू रहेगा।

(ग) 1. रा०प्रा० शि० संघ, हरियाणा की सारी धनराशि कार्यकारिणी द्वारा निमित बैंक में जमा की जाएगी, यह व्यवस्था खण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर एक समान होगी।

2. संघ के खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर बैंक में खाते का नाम राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा होगा।

3. संघ के राज्य स्तर पर बैंक के खाते का संचालन राज्य स्तर पर कोषाध्यक्ष एवं महासचिव और राज्य अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4. संघ के जिला स्तर पर बैंक के खाते का संचालन जिला कोषाध्यक्ष एवं जिला सचिव और जिला अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

5. संघ के खण्ड स्तर पर बैंक के खाते का संचालन खण्ड कोषाध्यक्ष एवं खण्ड सचिव और खण्ड अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

6. संघ की सभी प्रकार की आय संघ के कोषाध्यक्ष हर स्तर पर प्राप्त करेंगे और उसे 15 दिन के भीतर संघ के बैंक खाते में जमा करवाएंगे।

7. किसी भी स्तर पर कोई भी व्यय चालू वर्ष की आय व कोष की स्थिति के मद्देनजर ही किया जाएगा। हर स्तर पर कार्यकारिणी अपने चालू वित्त वर्ष व कोष के मद्देनजर ही व्यय करेगी। चालू वित्त वर्ष व कोष से अधिक व्यय करने पर वर्तमान कार्यकारिणी ही जिम्मेदार होगी तथा नई कार्यकारिणी उत्तरदायी नहीं होगी।

8. प्रत्येक स्तर पर वित्त का लेखा-जोखा कार्यकारिणी द्वारा स्थायी पुस्तिका के अंतर्गत रखा जाए, जिसे समझने में कोई कठिनाई न हो।

9. हर प्रकार की अदायगी कोषाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष व महासचिव/सचिव की आज्ञा से की जाएगी।

10. संघ के लिए खरीदे गए सभी साजो-सामान व सम्पत्ति, जिसे बिल व वाऊचर प्रकट करें, उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि निवर्तमान पदाधिकारी संघ का सामान व सम्पत्ति देने में आनाकानी करे तो राज्य अध्यक्ष/महासचिव उस पर संघ के संविधान के नियमानुसार कार्यवाही करने व उक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करवाने के लिए अधिकृत होंगे।

(घ) (Contingency) प्रकीर्ण के लिए राज्य प्रधान / महासचिव 10000/- रूपये, जिला स्तर पर प्रधान / सचिव 5000/- रुपये, खण्ड स्तर का प्रधान /सचिव 3000/

रुपये रखने के लिए सक्षम होंगे।

(ड़) खण्ड स्तर पर जो सदस्यता शुल्क प्राप्त होगा, उसका वितरण निम्न प्रकार होगा:-

1. 30 प्रतिशत सदस्यता शुल्क खण्ड स्तर पर रखा जाएगा।

2. 30 प्रतिशत सदस्यता शुल्क जिला स्तर पर रखा जाएगा।

3. 40 प्रतिशत सदस्यता शुल्क राज्य स्तर पर रखा जाएगा।जिसमें 10 प्रतिशत कार्यक्रमों के लिए अलग से जमा किया जाएगा।

23. सुरक्षित कोष :

(क) रा० प्रा० शि० संघ० हरियाणा के राज्य स्तर, जिला स्तर, खण्ड स्तर के प्रत्येक आधिकारिक वर्ष की समाप्ति पर सम्पूर्ण वर्ष की आय में से व्यय करने के पश्चात् जो रकम शेष रह जाएगी, उसका आधा भाग सुरक्षित कोष में एफडी के रूप में संचित किया जाएगा।

(ख) सुरक्षित कोष की रकम को तभी खर्च किया जा सकेगा, जब आमसभा ऐसा निर्णय ले।

24. रिक्त :

(क) किसी भी स्तर पर कार्यकारिणी में यदि स्वयं त्यागपत्र, मृत्यु, चिर-अनुपस्थिति एवं निलंबन व निष्कासन आदि द्वारा रिक्ति होने पर कार्यकारिणी की संबंधित खण्ड, जिला व राज्य कार्यकारिणी की सहमति से कोई भी सदस्य लिया जा सकता है, लेकिन प्रधान, महासचिव व कोषाध्यक्ष का चुनाव क्रमश: संबंधित आमसभा द्वारा ही किया जाएगा।

(ख) खण्ड, जिला व राज्य कार्यकारिणी का कोई सदस्य, जो वाजिब एवं समुचित कारण बताये बिना कार्यकारिणी की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहेगा, कार्यकारिणी का सदस्य नहीं रहेगा और कार्यकारिणी इस तरह से उत्पन्न होने वाली रिक्त को उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव करके भर देगी।

25. अनुशासनहीनता, निलंबन व निष्कासन :

(क) अनुशासनहीनता :

(1) संघ के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य के संघ विरोधी गतिविधिओ में

संलग्न होने, वित्तीय अनियमितिताओ में संलग्न होने अथवा संघ के पदाधिकारी होते हुए किसी कृत्य से संघ की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने पर उसे किसी भी समय कार्यकारिणी द्वारा निलंबित किया जा सकता है।

(2) संघ की नीतियों के विपरीत किसी पदाधिकारी द्वारा की गई ब्यानबाजी को अनुशासनहीनता माना जाएगा।

(3) संघ की बैठकों, धरने, प्रदर्शनों व अन्य कार्यक्रमों के दौरान की गई अभद्रता, अनैतिक टिप्पणियों/आचरण को भी अनुशासनहीनता माना जाएगा।

(4) किसी भी खण्ड, जिला व राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी द्वारा बिना राज्य कार्यकारिणी की अनुमति के किसी प्रकार के आंदोलन, चुनाव आदि की घोषणा भी अनुशासनहीनता मानी जाएगी।

(5) किसी भी पदाधिकारी/सदस्य का क्रिया-क्लाप अथवा उसका भाषण संघ की प्रतिष्ठा को नीचे गिराता और क्षति पहुंचाता हो, उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा।

(ख) निलंबन / निष्कासनः

उपरोक्त अनुशासनहीनता करने के दोषी पदाधिकारी/सदस्य को कार्यकारिणी द्वारा तत्काल निलंबित किया जा सकता है। परंतु उसे अपनी परिस्थिति/पक्ष को स्पष्ट करने के लिए कार्यकारिणी के समक्ष अपना लिखित में पक्ष रखने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। कार्यकारिणी यदि उसके पक्ष से सहमत होती है तो उसका निलंबन रद्द कर सकती है अन्यथा उसके निष्कासन का प्रस्ताव राज्य कार्यसमिति में रख सकती है। जिस पर उक्त प्रस्ताव को राज्य कार्यसमिति दो-तिहाई बहुमत से पारित कर उक्त पदाधिकारी/सदस्य को निष्कासित कर सकती है। जिला कार्यसमिति के पास किसी पदाधिकारी/सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार नहीं होगा। जिला कार्यसमिति किसी पदाधिकारी/सदस्य के निष्कासन हेतु राज्य कार्यकारिणी को अपनी अनुशंसा भेजेगी जिसको राज्य कार्यकारिणी द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु राज्य कार्यसमिति में रखा जाएगा, जो उस पर दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेगी।

26. कठिनाईयों अथवा शंकाओं का निराकरण :

किसी नियम अथवा विधान के प्रावधानों के क्रियान्वन और व्याख्या से संबंधित अथवा संघ के प्रशासन व संचालन से संबंधित अगर कोई कठिनाई अथवा शंका

उठ खड़ी हो तो इस तरह के मामले में कार्यसमिति के साधारण बहुमत के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

27. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ :

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का सम्बद्ध शुल्क, भविष्य में जारी रहेगा और यह शुल्क अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नियमानुसार राज्य स्तर की कार्यकारिणी ही देगी क्योंकि राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से सम्बद्ध है।

28. वित्त की जांच :

(क) वित्त की जांच कम से कम एक वर्ष में अनिवार्य है जो कि कोषाध्यक्ष की देखरेख में होगी। आय-व्यय का ब्यौरा त्रिवार्षिक सम्मेलन (चुनाव) के समय आडिटर की रिपोर्ट के अनुसार दिया जाएगा, यदि आडिटर की रिपोर्ट नहीं होगी तो आय-व्यय की रिपोर्ट अमान्य होगी।

(ख) पैसों का आदान-प्रदान खण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एवं आपसी लेन-देन बैंक ड्राफ्ट, चैक द्वारा या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द्वारा किया जायेगा।

29. खण्ड और जिला संगठनों में वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट:

रा० प्रा० शि० संघ, हरियाणा के महासचिव के वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में सम्मिलित करने के लिए सभी सम्बद्ध खण्ड सचिव अपने जिले के जिला सचिव को व सभी जिला सचिव संघ के राज्य महासचिव के पास प्रतिवर्ष 1 जनवरी को निम्नलिखित सूचनाएं भेंजेंगे-

1. कुल सदस्य संख्या।
2. वर्ष में चलाये गए क्रियाशीलनों का प्रतिवेदन (रिपोर्ट)।
3. आय-व्यय प्रतिवेदन।
4. परिसम्पत्ति एवं देय की सूचि।
5. अन्य कोई सूचना जो महासचिव चाहते हों।

30. संघ का त्रिवार्षिक सम्मेलन :

(क) खण्ड स्तर से राज्य स्तर के आमंत्रणों एवं सुझावों की समुचित छानबीन करने के पश्चात् त्रिवार्षिक सम्मेलन (चुनाव) के समय, स्थान एवं विशिष्ट अतिथियों के सम्बंध में कार्यसमिति निर्णय करेगी।

(ख) त्रिवार्षिक सम्मेलन का आतिथ्य करने वाला संबंधित खण्ड या जिला केवल अध्यक्ष एवं महासचिव की सलाह से स्वागत समिति से ऊपर रहेगा।

(ग) यदि सम्बंधित खण्ड या जिला इकाई पहले किए गए निश्चयानुसार सम्मेलन के आयोजन में अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो कार्यकारिणी को वैकल्पिक व्यवस्था करने की शक्ति होगी।

31. विशेष सम्मेलन :

(क) किसी कारण विशेष पर विचार-विमर्श के लिए कार्यकारिणी द्वारा विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जा सकेगा।

(ख) इस प्रकार के किसी भी विशेष अधिवेशन के लिए कार्य संचालन की प्रक्रिया के लिए वे ही नियम लागू होंगे, जो कार्यसमिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

32. त्रिवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता एवं अध्यक्ष :

(क) खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और स्वागत समिति का त्रिवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के नाम एवं उसकी अध्यक्षता करने के लिए परस्पर सहमति प्राप्त कर निर्णय लेंगे।

33. मुकद्दमें तथा कानूनी कार्यवाहियाँ :

रा० प्रा० शि० संघ हरियाणा के द्वारा इसके विरूद्ध सारे मुकद्दमे और कानूनी कार्यवाहियां महासचिव के नाम से की जाएगी और वे मुकद्दमें अथवा कार्यवाहियां चण्डीगढ़ अथवा हरियाणा की कानूनी अदालतों में की जाएगी।